न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस.

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.केसाराम पुत्र केवारामजी 2.जोईताराम पुत्र केवारामजी जाति चौधरी निवासी जुजांणी तहसील भीनमाल जिला जालोर		1.जामताराम पुत्र महादेवाराम जाति चौधरी निवासी भागल भीम तहसील भीनमाल जिला जालोर 2.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीनमाल
प्रकरण संख्या अपील		61/2016

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-
1-श्री त्रिलोक चंद मेहता, अभिभाषक अपीलान्टस
2-श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-17.05.2018

1. अपीलान्टस के द्वारा यह अपील तहसीलदार भीनमाल के कमांक/सम्पर्क/2016/2060 दिनांक 25.11.2016 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में व्यक्त किया कि अपीलांटस व वचनाराम की शामलाती खातेदारी व कब्जाशुद आराजी वर्तमान खसरा नंबर 50 व 51 मौजा भागलभीम में स्थित है तथा अपीलांट ग्राम जुजांणी के रहने वाले है। वचनाराम अपील करने में सहमत है।अपीलांटस का खसरा नंबर 50 रकबा 0.14 किस्म गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक न होकर केवल अपीलांटस व वचनाराम का निजी रास्ता है तथा अपीलांटस खसरा नंबर 50 व 51 की बिगोडी निजी रूप से भरते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जामताराम के द्वारा अपीलांटस के खातेदारी खसरा नंबर 50 पर अतिक्रमण करने का कहते हुये अपीलांटस के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने शिकायत पेश की।जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर दिये मनमाने तौर पर एक तरफा दिनांक 25.11.2016 को खसरा नंबर 50 से अतिक्रमण हटाने का आदेश देते हुए दिनांक 30.11.16 को अतिक्रमण हटाने की तारीख नियत की।उक्त आदेश न्यायिक सिद्धान्त के विपरित है। क्योकि खसरा नंबर 50 अपीलांट के खातेदारी का है तथा जिसमें अपीलांटस का निजी रास्ता है तथा अपीलांटस अपने खातेदारी के रास्ता का केवल निजी उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है तथा खसरा नंबर 50 में अन्य किसी व्यक्ति को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। न ही अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नंबर 50 पर अतिक्रमण बताकर किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। अपीलांटस के विरूद्ध धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व धारा 91 एल आर एक्ट का मामला नहीं बनता है।अन्य मामलो के लिए तहसीलार का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है।अपीलाधीन आदेश न्यायिक सिद्धान्त के विरूद्ध एक तरफा व मनमाना है। जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलांटस अपने खातेदारी आराजी का अपनी इच्छानुसार उपयोग नहीं कर पायेगें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने केवल मात्र अनबन के कारण मिलावट कर अपीलांटस को सुनवाई करने का अवसर दिये बिना आदेश पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।अत: अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि सन् 1981-82 में खसरा नंबर 50 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हो गया था तथा नक्शे में तरमीम हो गया था।गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के बाद अपीलार्थी की ओर से लगान सरकार में जमा नहीं होता है। इस कारण रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु है। कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। जमाबंदी अनुसार वचनाराम आवश्यक पक्षकार है जो अपील में पक्षकार नहीं होने से बिना सुने आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है।मौके पर रास्ता चालू है।अत: अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की योग्य होने से खारिज की जावे।

5. सरकारी अभिभाषक ने अपनी बहस में व्यक्त दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

6. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार भीनमाल के द्वारा पारित आदेश क्रमांक/सम्पर्क/2016/2060दिनांक 25.11.2016 के विरूद्ध की है। पारित इस आदेश में तहसीलदार भीनमाल द्वारा अपने पदेय कर्तव्यो एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत प्रदत शक्तियो के अनुरूप अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। सर्तकता समिति या अन्य किसी भी प्रकार के आदेश की पालना में नियमो एवं अधिनियमो के अर्न्तगत प्रदत पदेय कर्तव्यो एवं अधिकारो के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकरण में भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत तहसीलदार द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो एवं प्रदत अधिकारो के अर्न्तगत कार्यवाही की है। परंतु तहसीलदार द्वारा सभी संबंधित पक्षो को समुचित सुनवाई एवं तथ्यो का परिक्षण किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है।जो प्रथम दृष्टया ही परिपूर्ण एवं विधी सम्मत आदेश नहीं होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत:उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाधीन आदेश आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार भीनमाल को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण संबंधित नियमो में दर्ज कर सभी संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर समस्त तथ्यो का परीक्षण कर नियमानुसार विधी सम्मत आदेश पारित करे।

सही -
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 17.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही -
(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर